संख्या 13/9/98–का०-1–2000

प्रेषक,

डी० के० वर्मा,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2000

विषय :–"उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999" के नियम-9(4) में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

कतिपय विभागों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि "उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999" के नियम-9(4) के अन्तर्गत सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही में लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने में जांच आख्या की प्रति प्रदान करना आवश्यक होगा अथवा नहीं?

2–इस सम्बन्ध में प्राप्त विधिक राय के अनुसार जब अनुशासनिक प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम-7 के अधीन किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया हो तथा ऐसी जांच के उपरान्त यदि अनुशासनिक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपित सेवक के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध है तब वह जांच रिपोर्ट एवं अपना निष्कर्ष, यदि कोई हो, की प्रतिलिपि आरोपित सेवक को देकर उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे। उसके उपरान्त जांच सम्बन्धी सभी सुसंगत अभिलेखों एवं आरोपित सेवक के अभ्यावेदन, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त नियमावली के नियम-3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करने का सकारण आदेश पारित करेंगे। उपर्युक्त नियमावली के नियम-3 में लघु शास्तियों एवं दीर्घ शास्तियों दोनों का उल्लेख है। अतः उपर्युक्त नियम-7 के अधीन जांच कराने के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकारी यदि इस मत के हों कि लघु शास्ति ही दी जानी है तो भी नियम-9(4) के अनुसार जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि आरोपित सेवक को दी जानी होगी।

उपर्युक्त प्रक्रिया मा० उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा, मैनेजिंग डाइरेक्टर, ई० सी० आई० एल० बनाम बी० करुणाकरण (1993) 4 एस०सी०सी०-727 में दी गई निर्णय विधि के अनुरूप हैं।

उपर्युक्त नियमावली के नियम-10 में **जांच अधि**कारी नियुक्त करने का कोई प्राविधान नहीं है, अपितु अनुशासनिक प्राधिकारी सम्बन्धित सरका**री सेवक** र स्पष्टीकरण लेकर नियम-3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्ति अधिरोपित करने का स**कारण** आदेश पारित कर सकते हैं। चूंकि नियम-10 में जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच कराने का कोई प्राविधान नहीं है, अतः जब नियम-10 के अधीन कार्यवाही की जानी हो तब सम्बन्धित सरकारी सेवक को जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। अतः **नियम-10 के अधीन** कार्यवाही करने में न तो कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित है और **न ही जांच रिपोर्ट की** प्रतिलिपि दी जानी अपेक्षित है।

3–कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डी० के० वर्मा,
विशेष सचिव।